# दिनांक–02.07.2012 को विशेष सचिव जल संसाधन विभाग की अध्यक्षता में संपन्न मुख्य अभियंता, अग्रिम योजना जल संसाधन विभाग, के कार्यों की समीक्षा बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति विवरणी संलग्न है।

बैठक में चर्चा पिछली बैठक में दिये गये निदेश के अनुपालन प्रतिवेदन से प्रारंभ हुयी।

– इससे पूर्व दिनांक 21.05.2012 को संपन्न बैठक में मुख्य अभियंता अग्रिम योजना के पदाधिकारियों द्वारा यह सूचना दी गयी थी कि मुख्य अभियंता राँची परिक्षेत्र के 21 अदद्, मेदिनीनगर परिक्षेत्र के 7 अदद् तथा देवघर परिक्षेत्र के 5 अदद् योजनाओं का पुराना डी०पी०आर० जो संयुक्त बिहार के समय विभिन्न अग्रिम योजना प्रमंडलों द्वारा सर्वेक्षणोपरांत तैयार किया गया था वह प्राप्त हो गया है। उक्त बैठक में यह निदेश दिया गया था कि इन प्राप्त सभी योजनाओं का डी०पी०आर० नये अनुसूचित दर पर अद्यतन कर टंकित कराते हुये बाईडिंग कराकर एवं पुराने नक्शों का नया प्रिटं निकालकर Fresh प्रति उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक निधि की माँग विभाग को भेजी जाये।

बैठक में जानकारी दी गयी कि प्राप्त DPR में से 14 DPR का नये Schedule of Rates के अनुसार प्राक्कलन पुनरीक्षित कर लिया गया है एवं निधि प्राप्त नहीं होने के कारण डी०पी०आर० की टंकण एवं बाईन्डिग का कार्य नहीं हुआ है। उनके द्वारा यह भी बतलाया गया कि निधि हेतु अधियाचना भेज दी गयी है।

चर्चा में यह भी बात सामने आयी कि जिन DPR को अबतक किया गया है संभव हैं उनमें से कुछ की सार्थकता अब changed ground situation के कारण कम हो गयी हो अतः उन्हीं DPR का Fresh typing, binding कराया जाये जो अभी भी relevant हो।

**निदेश :–**

(i) सभी Updated DPR को परामर्शी–I, जल संसाधन विभाग को दिखा लिया जाये एवं उनके द्वारा सहमति दिये जाने पर ही आगे Fresh typing, binding का कार्य कराया जाये।

**(कार्रवाई–मुख्य अभियंता, अग्रिम योजना राँची)**

(ii) इस बीच मुख्य अभियंता अग्रिम योजना की निधि अधियाचना से संबंधित पत्र प्राप्त होते ही निधि आवंटन की कार्रवाई की जाये क्योंकि इसमें काफी बिलम्ब हो चुका है।

**(कार्रवाई–मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची)**

**2 सिंचाई दे रही योजनाओं का पुनर्स्थापन :–**

पिछली बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि राज्य की सिंचाई दे रही 112 पुरानी वृहद एवं मध्यम सिंचाई योजनाओं में से उन योजनाओं को चिन्हित किया जाये जिनकी सिंचाई उपलब्धि रूपांकित क्षमता का 50 % से भी कम है एवं उनके पुनर्स्थापन का प्रस्ताव तैयार किया जाये।

बैठक में मुख्य अभियंता द्वारा प्रत्येक परिक्षेत्र की ऐसी योजनाओं की सूची उपलब्ध करायी गयी जिनकी सिंचाई उपलब्धि विगत वर्षो में रूपांकित क्षमता के 50 % से भी कम रही है।

निर्णय लिया गया कि तत्काल, मेदिनीनगर, देवघर, हजारीबाग, राँची परिक्षेत्रों से तीन चार चुनिन्दा योजनाओं जिनकी स्थिति ज्यादा खराब है तथा जिनके पुनर्स्थापन से अपेक्षाकृत ज्यादा लाभ है उनके पुनर्स्थापन हेतु योजना प्रस्ताव एवं प्राक्कलन एक महीने में तैयार कराया जाये एवं डी०पी०आर० तैयार करने हेतु संबंधित प्रमण्डलों को आवंटन उपलब्ध कराया जाये। इस क्रम में विमर्शोपरांत निम्न योजनाओं को चुना गया –

| **राँची परिक्षेत्र** | **रूपांकित सिंचाई क्षमता (Ha)** | **रूपांकित सिंचाई क्षमता (Ha)** |
|---|---|---|
| लतरातु जलाशय योजना | 9900 | 1300 |
| नन्दनी जलाशय योजना | 4450 | 320 |
| तपकारा जलाशय योजना | 1840 | 200 |
| कतरी जलाशय योजना | 5020 | 1610 |
| **हजारीबाग परिक्षेत्र** | | |
| बौधा जलाशय योजना | 360 | 150 |
| गोवई बराज सिंचाई योजना | 5350 | 370 |
| बक्शा जलाशय योजना | 3000 | 25 |
| **देवघर परिक्षेत्र** | | |
| मयूराक्षी जलाशय योजना | 9500 | 6000 |
| बारानदी जलाशय योजना | 1200 | 700 |
| कैरानमी जलाशय योजना | 1000 | 700 |
| **मेदिनीनगर परिक्षेत्र** | | |
| अन्नराज जलाशय योजना | 5670 | 2500 |
| चिरका जलाशय योजना | 1440 | 400 |
| बाँयी बाँकी जलाशय योजना | 6080 | 3000 |

**निदेश :–**

उपरोक्त सभी सिंचाई योजनाओं के पुनर्स्थापन हेतु योजना प्रस्ताव एवं प्राक्कलन संबंधित प्रमण्डलों द्वारा एक माह में तैयार कर विभाग को उपस्थापित किया जाये।

**(कार्रवाई – संबंधित मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग एवं अधीक्षण अभियंता अग्रिम योजना अंचल राँची)**

(ii) इन योजनाओं का योजना प्रस्ताव एवं प्राक्कलन तैयार करने हेतु आबंटन यथाशीघ्र निर्गत किया जाये।

**(कार्रवाई–मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची)**

3. **प्रशिक्षण :–** प्रशिक्षण के संबंध में यह बात सामने आयी कि विगत बैठक तक जो प्रगति थी उसके आगे कोई प्रगति नहीं हुयी है। JSAC को भी जो data उपलब्ध कराया गया है उस संबंध में पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी। CAD के training के संबंध में यह बात सामने आयी कि प्रशिक्षण प्राप्त हो जाने के वावजूद भी Software के अभाव में सभी लोगों द्वारा इस पर कार्य नहीं किया जा रहा है। Total Station survey Instrument एवं Stad Pro Design Software का training अभी भी प्रारंभ नहीं हो सका है। मोनिटरिंग प्रकोष्ठ द्वारा जानकारी दी गयी कि training के लिये आवश्यक कार्यों हेतु निधि उपलब्ध कराने की कार्रवाई की गयी है। प्रशिक्षण के संबंध में Annual Calendar तैयार करने हेतु प्रस्ताव सभी मुख्य अभियंताओं से माँगा गया था। बैठक में यह बात सामने आयी कि मुख्य अभियंताओं से प्रस्ताव नहीं प्राप्त होने के कारण NWDA द्वारा प्रस्तावित प्रशिक्षण कार्यक्रम पर आगे कार्रवाई नहीं हो पा रही है।

निदेश :–

Total station, Survey Instrument एवं Stad Pro-Design Software एवं JSAC से संबंधित प्रशिक्षण पर अग्रेतर कार्रवाई एक माह में पूरी की जाये।

**(कार्रवाई–अधीक्षण अभियंता, बाँध गेट रूपांकण अंचल राँची एवं अधीक्षण अभियंता अग्रिम योजना अंचल राँची)**

4. **निरीक्षण वाहनों की कमी :–**

मोनिटरिंग प्रकोष्ठ द्वारा जानकारी दी गयी कि विगत बैठक में अग्रिम योजना प्रमंडल राँची को एक निरीक्षण वाहन उपलब्ध कराने की निदेश दिया गया था। इस संबंध में कार्रवाई की गयी है।

निदेश :–

(1) सभी परिक्षेत्रों से वाहन निरीक्षण वाहनों के संबंध में प्रतिवेदन प्राप्त कर आवश्यकतानुसार वाहनों के पुर्नवितरण का प्रस्ताव दिया जाये।

**(कार्रवाई–मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची)**

कार्रवाई पर प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

(बी०सी० निगम)
विशेष सचिव

पत्रांक :— 929 /राँची, दिनांक :— 11/8/12

प्रतिलिपि :— संयुक्त सचिव (अभियंत्रण) एवं सभी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। (e-mail से)

(बी०सी० निगम)
विशेष सचिव

पत्रांक :— 929 /राँची, दिनांक :— 11/8/12

प्रतिलिपि :— अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल–1, 2 एवं 3 को सूचनार्थ प्रेषित।

(बी०सी० निगम)
विशेष सचिव

पत्रांक :— 929 /राँची, दिनांक :— 11/8/12

प्रतिलिपि :— मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। वे अपने स्तर से इसकी एक प्रति विशेष भू–अर्जन पदाधिकारी उत्तरी कोयल परियोजना मेदिनीनगर एवं पुनर्वास पदाधिकारी उत्तरी कोयल परियोजना मेदिनीनगर सहित सभी अधीनस्थ पदाधिकारियों को उपलब्ध कराना सुनिश्चत करेंगे।

(बी०सी० निगम)
विशेष सचिव

पत्रांक :— 929 /राँची, दिनांक :— 11/8/12

प्रतिलिपि :— प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग के सचिव/आप्त सचिव अभियंता प्रमुख–1/2 एवं विशेष सचिव के निजी सहायक को सूचनार्थ प्रेषित।

(बी०सी० निगम)
विशेष सचिव

पत्रांक :— 929 /राँची, दिनांक :— 11/8/12

प्रतिलिपि :— वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग को विभाग के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(बी०सी० निगम)
विशेष सचिव

पत्रांक :— 929 /राँची, दिनांक :— 11/8/12

प्रतिलिपि :— आप्त सचिव, माननीय उप मुख्य (जल संसाधन) मंत्री को सूचनार्थ प्रेषित।

11/8

(बी०सी० निगम)
विशेष सचिव